GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

आदेश कमांक 5/113-2015 HRME(2)/2789 दिनांक, पंचकुला :–

1. इसके द्वारा **श्री सुरेश सन्धु, सहायक (54251), जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक (4086)** को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के अधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987 के नियम–8 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबन्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
2. इसके द्वारा **श्री सुरेश सन्धु** से उनकें द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंनें क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा **श्री सुरेश सन्धु,** को आगे सूचित किया जाता हैं कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते है तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते है। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामलें के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजो को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हे यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि **श्री सुरेश सन्धु** ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते है जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नही है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी **श्री सुरेश सन्धु** को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हे इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(ए०एस०मान)
~~अतिरिक्त~~ निदेशक प्रशासन–I
कार्या० निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

REGD.
श्री सुरेश सन्धु , सहायक (54251),
जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक।

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक, पंचकुला:– 28-12-15

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:–

1- District Education Officer, Rohtak.
2. T.O. IT Cell

Superintendent,
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

अधीक्षक एच०आर०एम०ई०
कृते:निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

Off.: 30 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh 160017 (India) Tel: 91(0172)-2701333 Fax:)- 91(0172)2701347
कार्यालय: 30 बेज बिल्डिंग, तृतीय तल, सैक्टर 17–बी चण्डीगढ –160017 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2701333 फैक्स: 91 (0172) 2701347

आरोप सूची नियम–8 विरूद्ध– श्री सुरेश सन्धू सहायक , जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक ।

श्री सुरेश सन्धू सहायक का0 जि0शि0अधि0 रोहतक ने जिं0शि0अधि0 रोहतक में सहायक के पद पर कार्यरत रहते हुये निम्न प्रकार से अनियमितताएं की:–

1. यह कि दिनांक 07.12.2015 को निदेशालय से श्री सुरेश दुहन, लेखा अधिकारी तथा श्री कर्ण सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान उसकी सीट से निम्न रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था :–

    1. Pass Book of bank account.
    2. Casual leave register not maintained.
    3. ACP cases pf lectures.
    4. Extension cases.

निरीक्षण के समय वह माननीय न्यायालय में गया हुआ था परन्तु अनुभाग अधिकारी द्वारा उसे दूरभाष पर दिए गए निर्देश पर भी माननीय कोर्ट से आने उपरान्त कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ तथा उसने अपना मोबाईल भी बन्द कर लिया ।

ऐसा करके आपने अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया ।

(ए0एस0 मान)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–I
कार्यालय, निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

आदेश क्रमांक 5/113-2015 HRME(2) /2790 **दिनांक, पंचकुला :–**

1. इसके द्वारा **श्री कमल, लिपिक (093077), कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार (4158)** को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आरापों के अधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987 के नियम–8 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबन्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।

2. इसके द्वारा **श्री कमल** से उनकें द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंनें क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।

3. इसके द्वारा **श्री कमल** को आगे सूचित किया जाता हैं कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते है तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते है। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामलें के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजो को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हे यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि **श्री कमल** ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते है जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नही है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी **श्री कमल, लिपिक (093077), कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार (4158)** को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हे इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।

4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।

5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(ए0 एस0 मान)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
कार्या0 निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

REGD.
श्री कमल, लिपिक (093077),
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार (4158))
पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक, पंचकुलाः– 28-12-15

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती हैः–

1- **जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार.**
2- **प्रोद्यौगिकी अधिकारी।**

Superintendent
O/o Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
कृतेः निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

D:\(2) SHAKUNTLA MADAM\charg sheet\Charge Sheet format Rule 8- Jagtar Singh SLA.doc

आरोप सूची नियम–8 विरूद्ध– श्री कमल, लिपिक , जिला शिक्षा अधिकारी हिसार ।

श्री कमल का0 जि0शि0अधि0 हिसार ने जिं0शि0अधि0 हिसार में लिपिक के पद पर कार्यरत रहते हुये निम्न प्रकार से अनियमितताएं कीः–

1. यह कि दिनांक 07.12.2015 को निदेशालय से श्री सुरेश दुहन, लेखा अधिकारी तथा श्री कर्ण सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी हिसार जिले का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान उसकी सीट से निम्न ए0सी0पी0 केस लम्बित पाए गए :–

1. Sh. Jagdish Parsad, Lect. Economics, GSSS Budas from 05-7-15.
2. Smt. Santosh, Lect. Sanskrit, GGSSS, Patwar from 10-11-2015.
3. Smt. Sunita, lect. Biology,S.LS.,GGSSS, Hansi from 04-10-2015.

उसकी सीट पर इतने ए0सी0पी0 मामले कई महीनों से लम्बित होना उसकी लापरवाही को दर्शाती है तथा ऐसा करके उसने अपने आपको अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया ।

(ए0एस0 मान)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–I
कार्यालय, निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला